JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक संरक्षण हेतु प्रावधान

1.डॉ. सुरेश त्रिवेदी.
सहायक आचार्य, माधव विश्वविद्यालय पिण्डवाड़ा, सिरोही राजस्थान
2.पुसा राम चौधरी.
शोधार्थी, माधव विश्वविद्यालय पिण्डवाड़ा, सिरोही राजस्थान

सारांशः- यह विधि स्त्रियों पर पुरूषों के प्रभुत्व का अध्ययन करती है, किन्तु उस पितृ सतात्मक अवस्था से पृथक जिसका कि यह एक भाग है। इस विधि की मान्यता है कि समस्या स्त्रियों पर प्रभुत्व की है और इसका समाधान इसके विरूद्ध संघर्ष में निहित है। इस अनुसंधान ने सामाजिक स्तर पर संरचनात्मक असमानता पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया है, बल्कि परिवार के भीतर ही असमानता एवं शक्ति संतुलन पर किया है। इस विधि में स्त्रियों की उच्च स्थिति का समंक समतावादी निर्णय करने से है तथा निम्न स्थिति का संबंध गैर समतावादी निर्णय से आनुभाविक अध्ययन से विविध समुदायों, वर्ग एव श्रेणियों की उन स्त्रियों के साथ गहन साक्षात्कार सम्मिलित हैं, जिन को अपने पतियों तथा ससुराल वालों के विविध व्यवहारों का अनुभव है। यद्यपि यह आनुभाविक अनुसन्धान विधि स्त्रियों की स्थिति तथा पतियों के प्रभुत्व के बीच के सम्बन्धों पर मूल्यवान साक्ष्य प्रस्तुत करती है, परन्तु इसका केन्द्र-बिन्दु बहुत सीमित है तथा यह समाज में स्त्रियों की सामान्य स्थिति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करती। वह पितृ सतात्मक, सामाजिक व सांस्कृमिक संदर्भ जिनमें परिवार फंसा रहता है तथा जिनमें वैवाहिक सम्बन्धों की भूमिका चलती रहती है, की अनदेखी की गई है।

मुख्य शब्दः- महिला, कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान, घरेलू हिंसा अधिनियम, समानता की गारंटी, बाल श्रम एवं श्रम तस्करी से बचाना।

परिचयः- महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु पूर्व में अनेक व्यवस्थाओं और अधिनियमों को लागू किया जाता रहा है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 19, 23 और 39 में राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जीविका, कानून आदि के आधार पर अवसरों को समानता की गारन्टी तथा जबरन काम करवाने आदि को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया गया है। इसी प्रकार कुछ विशेष कानूनों जैसे- बागान श्रम अधिनियम (1951), खान अधिनियम (1952), बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम (1966), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961), दहेज निषेध अधिनियम (1961), (संशोधन 1986), ठेका श्रम अधिनियम (1970), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1986), सती निषेध अधिनियम (1987), प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994), आदि से उन्हें विशेष सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किए गए हैं। घरेलू हिंसा से निजात दिलाने के लिए 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू कर दिया विशाखा दिशानिर्देशों (1997) के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाल ही में यौन शोषण के

विरुद्ध कानून बनाया गया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अब लागू कर दिया गया है। वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष तथा वर्ष 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष के रूप घोषित किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुत्सित प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु महिलाओं के लिए एक जन-अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।

अनुज गर्ग बनाम भारत का होटल संघ, ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 663 इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रत्यर्थियों ने पंजाब सरकार के उस अधिनियम की धारा 30 की विधिमान्यता को चुनौती दी थी जिसके द्वारा सरकार ने होटल या बार में जिसमें मदिरा मिलती थी, महिलाओं के नियोजन पर रोक लगा दी थी। उनका अभिकथन था कि यह उनके अनुच्छेद 14 उनके नियोजन के अधिकार को रोका जा रहा है। आज महिलाएँ होटल प्रबन्धन कारोबार में दक्षता हासिल कर रही हैं। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जिससे महिलाएँ सुरक्षित रहकर अपनी जीविका चला सकें। उक्त अधिनियम स्त्री और पुरूष में लिंग के आधार पर भेद करता है, अतः अवैध है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायन, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 207 इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक चरित्रहीन महिला को भी निजता का अधिकार प्राप्त है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस मामले में तथ्य यह था कि एक पुलिस इन्सपेक्टर एक महिला के घर वर्दी पहनकर गया और उससे लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहा किन्तु उसने इंकार कर दिया। बलपूर्वक ऐसा प्रयास किए जाने पर उसने हल्ला मचाया और वह पकड़ा गया। अपने विरूद्ध परीक्षण में उसने तर्क दिया कि उक्त महिला एक चरित्रहीन महिला है अतः उसका साक्ष्य मान्य नहीं है। न्यायालय ने उसके तर्क को अस्वीकार कर दिया और उसे उक्त महिला के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त एकान्तता के अधिकार के उल्लघंन करने के लिए दोषी ठहराया और दण्डित किया।

इण्डेपेंडेंट थाट बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 4904, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की स्त्री से उसके ही पति द्वारा किये गये लैंगिक सम्भोग को बलात्संग अभिनिर्धारित किया। न्यायाधीश चेल्मेश्वर ने अभिनिर्धारित किया-एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच है, के साथ लैंगिक सम्भोग बलात्संग है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 द्वारा विवाहित और अविवाहित लड़की के बीच कृत्रिम अन्तर किया गया है जिसका किसी अस्पष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये की गयी ईप्सा से कोई भी तार्किक सम्बन्ध नहीं है। यह कृत्रिम अन्तर निरंकुश व भेदभावयुक्त है और सबसे अधिक निश्चित रूप से बालिका के हित में नहीं हैं। इस प्रकार का अन्तर संविधान के अनुच्छेद 15(3) के दर्शन और प्रकृति और हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 5 व 41, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बालिका की शारीरिक अक्षमता व प्रजनन सम्बन्धी विकल्प के प्रतिकूल हैं। कृत्रिम अन्तर जो बालिका के दुव्र्यापार के प्रति आंख बन्द कर लेता है, समान रूप से भयानक है और प्रत्येक को निश्चित रूप से दुव्र्यापार, जो भयानक सामाजिक बुराई है, को अवश्य हतोत्साहित करना चाहिये।

दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन्स फोरम बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया, (1995) 1 एस.सी.सी. 14 इस मामले में महिलाओं के साथ बढते हुऐ यौन अपराधों के प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और ऐसे मामलों के शीघ्र परीक्षण तथा उन्हें प्रतिकर प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित किया है। प्रस्तुत

मामले में दिल्ली श्रमजीवी फोरम ने लोकहित वाद के माध्यम से चार घरेलू श्रमजीवी महिलाओं के साथ-साथ सेना के जवानों द्वारा यौन उत्पीड़न की घटना को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त घटना उस समय घटी थी जब ये महिलाएँ रेलगाड़ी से राँची से दिल्ली जा रही थीं।

उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायमूर्तियों की खण्डपीठ ने ऐसी महिलाओं को प्रतिकर प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित किए हैंः-

(1) यौन शोषण शिकायतकर्ताओं को वकील के रूप में विधिक सहायता दिया जाना चाहिए जो आपराधिक न्याय प्रणाली से भली भाँति परिचित हो। उसे पीड़ित व्यक्ति को कार्यवाहियों के जानकारी देना चाहिए तथा पुलिस स्टेशन तथा न्यायालय में सहायता ही नहीं देना चाहिए बल्कि यह भी बताना चाहिए कि अन्य प्रकार की सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है जैसे, मानसिक परामर्श या चिकित्सा सहायता आदि। निरन्तरता बनाए रखने की दृष्टि से उसी वकील को मामले को अन्त तक निपटाना चाहिए।

(2) पुलिस स्टेशन पर विधिक सहायता देना आवश्यक है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति वहाँ घबराया रहता है। ऐसे समय अधिवक्ता की सहायता उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(3) पुलिस को प्रश्न पूछने के पूर्व पीड़ित व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधित्व के अधिकार की जानकारी देना चाहिए और पुलिस रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति को इसकी सूचना दी गई थी।

(4) पुलिस स्टेशन पर अधिवक्ताओं की सूची होनी चाहिए जो ऐसे मामलों में स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं जहाँ पीड़ित व्यक्ति का अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है या उसे किसी के बारे में जानकारी नहीं है।

(5) अधिवक्ता की नियुक्ति पुलिस के आवेदन पर न्यायालय द्वारा यथासम्भव शीघ्र की जाएगी। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित व्यक्ति से विलम्ब किए बिना प्रश्न पूछे जाएँ अधिवक्ता को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भी कार्य करने के लिए अधिकार होगा।

(6) बलात्कार के सभी मामलों में पीड़ित व्यक्ति की पहिचान को न खुलना बनाया रखा जाएगा।

(7) अनु० 38 (1) के अधीन नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड का गठन किया जाएगा। बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति प्रायः बहुत अधिक वित्तीय हानि उठाता है। इनमें से कुछ तो सेवा जारी करने में असहाय होते हैं।

(8) न्यायालय द्वारा पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर अपराधी के सिद्धदोष घोषित किये जाने पर प्रदान किया जायेगा तथा आपराधिक क्षतियाँ प्रतिकर बोर्ड द्वारा दी जायेंगी चाहे अपराधी सिद्धदोष घोषित किया गया हो या नहीं। बोर्ड बलात्कार के परिणाम स्वरूप हुए कष्ट, पीड़ा और धक्का तथा गर्भधारण करने के कारण आय में कमी या बच्चे के जन्म पर हुए खर्चे यदि वह बलात्कार के परिणामस्वरूप हुई हो पर विचार करेगा।

न्यायमूर्तियों ने ऐसे मामलों के परीक्षण के लिए भारतीय आपराधिक प्रणाली में व्याप्त दोषों को भी इंगित किया उसमें सुधार किए जाने का सुझाव दिया। ऐसे मामलों के परीक्षण पर उचित ध्यान नहीं। प्रायः पुलिस द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई जाती है। पीड़ित व्यक्तियों को यह कहते पाया जाता है कि बलात्कार का परीक्षण बलात्कार से अधिक बुरा होता है।

बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती, (1996) 1 एस.सी.सी. 490 इस मामले में उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय खण्डपीठ (न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह अहमद और सग्गीर अहमद) ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को बलात्कार की शिकार महिला को अन्तरिम प्रतिकर देने की शक्ति है जब तक कि परीक्षण न्यायालय अभियुक्त के ऊपर लगाए आरोप पर अपना निर्णय नहीं दे देता है। प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी, जो बेयटिस्ट कालेज कोहिमा नागालैण्ड में एक छात्रा थी, ने अपीलार्थी जी उसी कालेज में प्रवक्ता था, के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक परिवाद फाइल किया जिसमें उसने अपीलार्थी पर यह आरोप लगाया कि उसने उसे विवाह करने का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किया और दिखावे स्वरूप मन्दिर में ईश्वर के समक्ष उसकी माँग में सिन्दूर भरकर विवाह भी किया और दो बार गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करवाया किन्तु अन्त में उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और त्याग दिया।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1997 एस.सी.(आ.प्र.) 374 इस मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के स्थान में होने वाले यौन उत्पीडन को रोकने के लिए, जब तक कि इस प्रयोजन के लिए विधान नहीं बन जाता है, विस्तृत दर्शक सिद्धान्त विहित किया है। न्यायालय ने यह कहा कि देश की वर्तमान सिविल विधियाँ या आपराधिक विधियाँ काम के स्थान पर महिलाओं के यौन शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं करती हैं और इसके लिए विधि बनाने में काफी समय लगेगा, अतः जब तक विधानमण्डल समुचित विधि नहीं बनाता है न्यायालय द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धान्त को लागू किया जायेगा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्रत्येक नियोक्ता या अन्य व्यक्तियों का यह कत्र्तव्य होगा कि काम के स्थान या अन्य स्थानों में चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, श्रमजीवी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित उपाय करे। इस मामले में महिलाओं के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए विशाखा नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने लोक हितवाद न्यायालय में फाइल किया था। याचिका फाइल करने का तत्कालीन कारण राजस्थान राज्य में एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना थी। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिएः-

(1) सभी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी हैं चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र में हो या पब्लिक क्षेत्र में, अपने सामान्य दायित्वों के होते हुए महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम उठाना चाहिए।

- यौन उत्पीडन पर अभिव्यक्त रोक लगाना जिसमें निम्न बातें शामिल हैं-शारीरिक सम्बन्ध और प्रस्ताव, उसके लिए आगे बढ़ना, यौन सम्बन्ध के लिए मांग या प्रार्थना करना, यौन सम्बन्धी छीटाकशी करना. अश्लील साहित्य या कोई अन्य शारीरिक, मौखिक या यौन सम्बन्धी मौन आचरण को दिखाना आदि।
- सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन सम्बन्धी नियम या विनियमों में यौन उत्पीडन रोकने सम्बन्धी नियम शामिल किया जाना चाहिए और ऐसे नियमों में दोषी व्यक्तियों के लिये समुचित दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- प्राइवेट क्षेत्र के नियोक्ताओं के सम्बन्ध में औद्योगिक नियोजन अधिनियम, 1946 के अधीन स्टैंडिंग आर्डर में ऐसे निषेधों को शामिल किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को काम, आराम, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के सम्बन्ध में समुचित परिस्थितियों का प्रावधान होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना महिलाओं को काम के स्थान में कोई विद्वेषपूर्ण

वातावरण न हो न उनके मन में ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि वह नियोजन आदि के मामले में अलाभकारी स्थिति में हैं।

(2) जहाँ ऐसा आचरण भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन विशिष्ट अपराध हो तो नियोक्ता को विधि के अनुसार उसके विरुद्ध समुचित प्राधिकारी को शिकायत करके समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए।

(3) यौन उत्पीडन की शिकार महिला को अपना या उत्पीड़नकर्ता का स्थानान्तरण करना विकल्प होना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि किसी वृत्ति, व्यापार या पेशा के चलाने के लिए सुरक्षित काम का वातावरण होना चाहिए। 'प्राण के अधिकार' का तात्पर्य मानव गरिमा से जीवन जीना है। ऐसी सुरक्षा और गरिमा की सुरक्षा को समुचित कानूनों द्वारा सुनिश्चित कराने तथा लागू करने का प्रमुख दायित्व विधानमण्डल और कार्यपालिका का है। किन्तु जब कभी न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के अधीन महिलाओं के यौन उत्पीडन का मामला लाया जाता है तो उनके मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित करना, जब तक कि समुचित विधान नहीं बनाये जाते, उच्चतम न्यायालय का सांविधानिक कत्र्तव्य है।।

यह निर्णय निश्चित रूप से श्रमजीवी महिलाओं को उनके काम के स्थान में बहुत प्रभावी संरक्षण प्रदान करने में सहायक होगा। जबकि सरकार विगत 50 वर्षों से केवल ऐसा करने की घोषणा ही करती रही है और सम्भवतः आगे भी करती रहेगी।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005ः- यद्यपि किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसात्मक आपराधिक आचरण कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है लेकिन इसके बावजूद देश में 1983 से घरेलू हिंसा को समस्या के रूप में मान्य करते हुए विवाहिता के साथ क्रूरता को अपराध माना गया, जिसे दहेज के साथ जोड़ा गया। इस सम्बंध में आपराधिक कानून में संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े गए। इससे दूसरे कारणों से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा की अनदेखी होती रही है। इस घरेलू हिंसा अधिनियम के माध्यम से इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अंतर्गत पीड़ित महिला को न्यायालय से आदेश पाने का अधिकार है जो हिंसक पति को चेतावनी की तरह होगा। इसके अतिरिक्त ऐसी महिला ऐसा आदेश भी हासिल कर सकती है जिससे उसे ससुराल से न निकाला जा सके। इस कानून के अंर्तगत ऐसी महिला न्यायालय से मुकदमे के दौरान खर्चे हेतु अदालत से तात्कालिक वित्तीय सहायता के लिए भी मांग कर सकेगी। 26 अक्टूबर 2005 से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है। इस घरेलू हिंसा अधिनियम में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मौखिक एवं यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध अनुतोष का प्रावधान किया गया है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता की सुरक्षा हेतु कई आदेश पारित किए जा सकते हैं- संरक्षण आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक आदेश एवं प्रतिकर आदेश। संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए एक वर्ष तक कारावास या 20,000 रूपए जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है। इसके बारे में विस्तार से पृथक अध्याय में वर्णन किया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया कोषः- 16 दिसंबर, 2013 को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा संबंधी 'निर्भया कोष' के संदर्भ में तीन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। ये तीन प्रस्ताव क्रमशः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से गृह मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। इन प्रस्तावों के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल हैंडसेटों

में 'एसओएस' अलर्ट प्रणाली की अनिवार्यता, पुलिस प्रशासन का मोबाइल फोन नेटवर्क के साथ एकीकरण, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था अनिवार्य किए जाने, सार्वजनिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, विशेष क्षेत्रों में रेलगाड़ियों में 'एसओएस' अलर्ट प्रणाली की व्यवस्था एवं विशेष निर्भया कोष की स्थापना इत्यादि शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि बारह वर्ष पूर्व 16 दिसंबर, 2012 को ही नई दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसकी पीड़िता को 'दामिनी' या 'निर्भया' नाम दिया गया था और जिसकी मृत्यु 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में गई थी। केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट में 'निर्भया कोष' 100 करोड़ रुपये की प्राथमिक पूंजी से की स्थापना की घोषणा की गई थी। वर्ष 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया है।

द वर्क इन फ्रीडम इनिशिएटिव 2013ः- एशिया महाद्वीप में कम से कम एक लाख लड़कियों को मजदूरी कराने के लिए तस्करी चंगुल से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और ब्रिटेन सरकार ने एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय किया है। आईएलओ और ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्रालय ने मिलकर 15 जुलाई 2013 से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस संयुक्त प्रयास को 'द वर्क इन फ्रीडम इनिशिएटिव' नाम दिया गया है। यह कार्यक्रम वर्ष 2013 से 2018 तक चलाया गया, जिस पर 83 लाख पाउंड खर्च किए गये। इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों को इस तरह का हुनर सिखाया गया, जिसके आधार पर इनके लिए सम्मानजनक कामकाज तलाशा जा सका और बाकायदा एक कानूनी वैधता वाला अनुबंध कराया जा सके। इससे लड़कियों और महिलाओं को अच्छा वेतन मिला और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2013ः- स्विट्जरलैंड की गैर-सरकारी संस्था विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2013 के लिए जारी ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 136 राष्ट्रों की सूची में भारत को 101वां स्थान दिया गया है। वर्ष 2012 में भारत को 105वां स्थान दिया गया था। यह सूचकांक आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य आधारित क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक को वर्ष 2006 में विकसित किया गया था। इसे लैंगिक समानता के लिए एक सुसंगत और व्यापक उपाय के निर्धारण के लिए विकसित किया गया था।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2013 में कहा गया है कि लैंगिक असमानता समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति को अभिव्यक्त करती है। 110 राष्ट्रों के आठवां आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश राष्ट्रों ने लैंगिक असमानता को कम करने में धीमी प्रगति की है। रिपोर्ट, देश के लैंगिक अंतराल राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मध्य संबंधों को स्थापित करती है। महिलाएं देश की संभावित, क्षमता के आधे को धारण करती हैं। महिलाओं की शिक्षा और उसके इस्तेमाल के आधार पर राष्ट्र की प्रतिस्पर्धा निर्धारित होती है।

निष्कर्ष व सुझावः-

- दक्षिण एशियाई देशों की कम से कम एक लाख लड़कियों एवं महिलाओं को बाल श्रम एवं श्रम तस्करी से बचाना।
- कानूनी संरक्षण के साथ महिला श्रमिकों का सुरक्षित और सफल पलायन तथा प्रवास से पहले तस्करी के जोखिम को कम करना। निजी क्षेत्र की कम्पनियों और नियोक्ताओं द्वारा भर्ती और उचित रोजगार के

नैतिक मानकों का पालन। इसमें कम से कम 100 एजेंसियों को शामिल करना। यह हजारों प्रवासी महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा।

- दक्षिण एशिया की 30,000 प्रवासी महिला श्रमिकों का आर्थिक सशक्तीकरण करना तथा आय एवं काम की स्थितियों पर नियंत्रण, परिवार को धन के नियमित प्रेषण एवं आय को बचाने हेतु क्षमता प्रदान करना।
- लगभग 50,000 प्रवासी महिला श्रमिकों को प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण, कौशल और अन्य सेवाएं प्रदान करना, ताकि कानूनी अनुबंध एवं उचित मजदूरी सुरक्षित करने में मदद मिल सके।
- 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बाल श्रम एवं पलायन को रोकना और उनकी स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना।
- तस्करी को रोकने के लिए एक मजबूत आधार का विकास करना।

संदर्भ सूची ग्रन्थः-

1. अनुज गर्ग बनाम भारत का होटल संघ, ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 663
2. महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायन, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 207
3. इण्डेपेंडेंट थाट बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 4904
4. दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन्स फोरम बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया, (1995) 1 एस.सी.सी. 14
5. बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती, (1996) 1 एस.सी.सी. 490
6. विशाका बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1997 एस.सी.(आ.प्र.) 374
7. पाॅलटीकल्स लाॅ टाईम्स
8. जजमेन्ट एण्ड लाॅ टुडे
9. राजस्थान पत्रिका
10. दैनिक भास्कर
11. टाईम्स आॅफ इण्डियां